# ikDdFku

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षण दिशा–निर्देश 2014 और लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2007 के अनुसार तैयार की गई है।

प्रमुख बंदरगाहों में भूमि प्रबंधन के संबंध में समान क्रियाविधि और प्रक्रियाओं को आरंभ करने के उद्देश्य से जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 1995 में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिन्हें बाद में 2004, 2010 और 2014 में संशोधित किया गया था। नीतिगत दिशा–निर्देशों में स्पष्टता एवं सभी बंदरगाहों में इनके अनुप्रयोग के प्रभाव की जांच करने के उद्देश्य से यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर बंदरगाहों और जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।